उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-56/1115/एक-1-2016-5(102)/2014

लखनऊ: दिनॉक: 22 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78,दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई,1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	सदर	दादरी	रायपुर बांगर	2	0.0227	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					6	0.0416	
3					7	0.1580	
4					9	0.0344	
5					11	0.0473	
6					15	0.0290	
7					16	0.0441	
8					19	0.0239	
9					20	0.0506	
10					22	0.1877	

shasnadesh.up.nic.in

11					23	0.0638	
12					24	0.2681	
13					27	0.0239	
14					28	0.0607	
15					32	0.0126	
16					36	0.0360	
17					37	0.0885	
18					38	0.0297	
19					48	0.0170	
20					50	0.0253	
21					51	0.0278	
22					57	0.0341	
23					58	0.1897	
24					59	0.0153	
25					69	0.0132	
26					71	0.0531	
27					72	0.0524	
28					75	0.0707	
29					76	0.1087	
30					89	0.0506	
31					90	0.0910	
32					96	0.0278	
33					97	0.0132	
34					99	0.0153	
35					101	0.0233	
36					104	0.0441	
37					107	0.0303	

shasnadesh.up.nic.in

38					108	0.0315	
39					119	0.0441	
40					126	0.0239	
41					127	0.0113	
42					133	0.1814	
43					134	0.0397	
44					138	0.0600	
45					145	0.0195	
46					148	0.0239	
47					149	0.0518	
48					154	0.1068	
49					155	0.0246	
50					165	0.0688	
51					184	0.1068	
52					185	0.0176	
53					188	0.0486	
54					190	0.0253	
55					192	0.0416	
56					198	0.0441	
57					207	0.0075	
58					209	0.0828	
59					214	0.0385	
60					220	0.3288	
61					225	0.0550	
62					228	0.0094	
63					230	0.0594	
64					235	0.0739	

shasnadesh.up.nic.in

65					236	0.0259	
66					238	0.0214	
67					242	0.1574	
68					243	0.0151	
69					247	0.0416	
70					248	0.0239	
71					269	0.0632	
72					280	0.0341	
73					281	0.1339	
74					282	0.0935	
75					283	0.0170	
76					293	0.0315	
77					309	0.0865	
78					312	0.0085	
79					316	0.0138	
80					317	0.0239	
81					324	0.2345	
82					325	0.2630	
83					328	0.0626	
84					329	0.0290	
85					339	0.0227	
86					340	0.0385	
87					344	0.0315	
88					349	0.1694	
89					356	0.0265	
90					357	0.0531	
91					363	0.0265	

shasnadesh.up.nic.in

92					367	0.0354	
93					372	0.0195	
94					379	0.0537	
95					380	0.1125	
96					381	0.0195	
97					385	0.0233	
98					387	0.2332	
99					388	0.0720	
100					389	0.0473	
101					401	0.0233	
102					405	0.0328	
103					406	0.0492	
104					412	0.0233	
105					415	0.1264	
106					416	0.0506	
107					418	0.2927	
108					422	0.0531	
109					427	0.0284	
110					431	0.0834	
111					435	0.0467	
112					437	0.1074	
113					441	0.0335	
114					447	0.0214	
115					451	0.0335	
116					452	0.0885	
117					454	0.0176	
118					456	0.0278	

shasnadesh.up.nic.in

119					467	0.0195	
120					468	0.0404	
121					474	0.0214	
122					475	0.0062	
123					476 डी	0.0170	
124					477	0.0688	
125					481	0.0144	
126					482	0.0834	
127					483	0.0568	
128					486	0.0284	
129					487	0.0214	
130					490	0.0157	
131					493	0.0720	
132					494	0.0303	
133					496	0.1391	
134					497	0.1062	
135					499	0.0480	
136					501	0.0707	
137					504	0.0416	
138					512	0.0562	
139					517	0.0322	
140					518	0.0467	
141					519	0.0284	
142					522	0.0335	
143					523	0.0480	
144					526	0.0435	

shasnadesh.up.nic.in

145					527	0.1365	
146					531	0.0227	
147					532	0.0113	
148					538	0.0303	
149					541	0.0157	
150					542	0.0278	
151					476/544	0.0107	
				योग	**कुल 151 गाटा**	**8.7014 हे0**	

2. इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनॉक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

4. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उपयोगार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-मुख्यमार्ग, चकमार्ग, रास्ता, नलकूप सरकारी व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के

shasnadesh.up.nic.in

अधीन किया जा रहा है कि ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमार्ग, चकमार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहींकरेंगे तथा नलकूप सरकारी व नालीके माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे।

6. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1115(2)/एक-1-2016-5(102)/2014 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्वनगर को उनके पत्र संख्या-1245/डीएलआरसी/2012-13, दिनॉक 06.10.2012 के सन्दर्भ में
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in